न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 461/2018

वादीगण :–

1. रामअवतार पुत्र श्री श्यामलाल, जाति जाट
2. रामभरोस पुत्र श्री श्यामलाल, जाति जाट

निवासीगण कमेड़िया की ढाणी, डांगावास

तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्यामलाल दतक पुत्र श्री पुरखाराम, जाति जाट, निवासी कमेड़िया की ढाणी, डांगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. तहसीलदार मेड़ता।

वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर.टी. एक्ट

निर्णय दिनांक :–24.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है। ग्राम लांछ की ढाणी की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 180 रकबा 2.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 1.9000 हैक्टेयर व ग्राम पोलास गाडेत की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 38 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 4.52 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 40 रकबा 2.74 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी पैतृक कास्त कब्जासुदा है जो वादी के दादा पुरखाराम से प्राप्त भूमि है। वादी के दादा पुरखाराम के देहान्त के बाद में प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार व सहकाश्तकार है व सभी खसरान वादीगण की पैतृक जमीन है। वादीगण हिन्दू मिताक्षरा मत का अनुयायी है व अपने जन्म से अपनी पैतृक सम्पति का अधिकारी हो जाते है व अपनी पैतृक जमीन का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है जो जरिये इस्तकरार हक घोषित फरमाया जावें। इस प्रकार से वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मगर उपरोक्त सभी खसरान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी काश्त कब्जासुद है। जिसका बंटवाड़ा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आज से दो माह पूर्व में कर लिया था। जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 अनुसार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बाद बंटवाड़ा अपने–अपने बंटसुदा खेत खसरान पर अर्जीदावा के फिकरा नम्बर 3 के अनुसार काश्त करते है व काबिज चले आ रहे है मगर बंटवाड़ा के अनुसार व काश्त कब्जा के अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने से अपने–अपने बंटसुदा खसरान का विकास करने में बड़ी भारी असुविधा हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर अभी दिनांक 01.08.2018 को बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने की इच्छा जाहिर की जिसका वादीगण को अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार मेड़ता है जो बंटवाड़ा के दावा में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया

Scanned by CamScanner

गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा लांछ की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 297, पोलास गाडेता की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, खाता संख्या 63 व 64, जमाबंदी फोटो प्रति सम्वत् 2053 से 2058, खाता संख्या 8 की प्रतियां पेश की।
3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन तारीख पेशी 21.08.2018 को तामील सुदा प्राप्त, आवाज लगायी गई अनुपस्थित रहने से दिनांक 21.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।
4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी संख्या 1 रामअवतार के बंट में :–** मौजा लांछ की ढाणी की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 180 रकबा 2.0200 हैक्टेयर व ग्राम पोलास गाडेता की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 1.59 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 40 रकबा 2.74 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

Scanned by CamScanner

6.(2) **वादी संख्या 2 रामभरोस के बंट में :–** मौजा लांछ की ढाणी की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 306 रकबा 1.90 हैक्टेयर व ग्राम पोलास गाडेता की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(3) **प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल के बंट में :–** मौजा लांछ की ढाणी की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 287 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.1600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 294 रकबा 2.3800 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner